the House that we are aware of the concepts which have been taken from these world-class airprots. We have promised, the Finance Minister in his speech had promised, creation of world-class airports at Mumbai and Delhi. The process is under way. I would like to assure the House that the rest of the airports in the country willl also be developed in the same way.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, the Belgaum and the Hubli airports in Karnataka have been in use for the last 20 years. Both these airports need certain improvements. Now, for the last two years these two airports are out of use and no plane is landing there. Will the Government do necessary improvements so that planes can land there?

SHRI RAJIV PRATAP RUDI: About the two mentioned airports, I do not know the exact status of the airports. But as far as the aircraft flying into the airports is concerned, at the moment, we cannot assure the House that flights will land there because we have limitations of sending flights there. But the private airlines are free to take their aircraft there. So, if they want to do, we will have no objection at all.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the Trivandrum airport was declared as an international airport in the year 1991. But, so far, it has not got the standard of world-class or, to say, the international standard. Even the flooring of that airport is simple mosaic. I should say, the condition of that airport is the worst in the world. Also, Sir, there is a proposal for construction of a new terminal at the Trivandrum airport. My supplementary to the hon. Minister is whether the terminal construction will be completed as per the schedule, whether the defects in the Airports would be rectified, and whether the airport will be upgraded to the international standard.

SHRI RAJIV PRATAP RUDI: Sir, the Government does have plans of upgrading the Trivandrum airport to the international standard, and we have major projects before us for improvement of standards at that airport. I can furnish the details to the hon. Member.

एच॰डी॰एफ॰सी॰ में दावा न की गई राशि

*124. श्री दत्ता मेघे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2002-2003 में हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फाइनेंस में 75.86 करोड़

रुपये की जमाराशि है जिसका किसी ने दावा नहीं किया है;

(ख) क्या यह जमाराशि उन 18,669 जमाकर्त्ताओं की है जिन्होंने परिपक्वता के बावजूद न तो इसके लिए दावा किया है और न ही इसका नवीकरण किया है;

(ग) क्या यह राशि उन जमाकर्त्ताओं का पता लगाकर उन्हें वापस की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी, हां, बशर्ते कि जमाकर्त्ता परिपक्वता की तारीख से सात वर्ष के अन्दर इसके लिए दावा करे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Unclaimed deposit in HDFC

†*124. SHRI DATA MEGHE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Housing Development Finance Corporation had unclaimed deposits of Rs. 75.86 crores in 2002-2003;

(b) whether this deposit belongs to 18,669 depositors, who have neither claimed nor renewed it despite its maturity;

(c) whether this amount would be returned to depositors after getting them identified; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir, provided the depositor claims it within seven years of maturity date.

(d) Question does not arise.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न यह है कि जमाकर्त्ता जो बैंक से क्लेम नहीं कर पाते, उनको बैंक द्वारा पैसा लौटाए जाने के बारे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या निर्देश है और उन निर्देशों का पालन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस

†Original notice of the question was received in Hindi.

कॉरपोरेशन ने किया गया है या नहीं? क्योंकि आपने कहा है कि पचास करोड़ के ऊपर जो राशि पड़ी है, उसे कोई क्लेम नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको सात साल हुए हैं या नहीं? इसके अतिरिक्त सात साल के बाद.....

श्री सभापति: आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए इसका जवाब तो आपको मिल गया है। आप उसे ही रिपीट कर रहे हैं।

श्री दत्ता मेघे: मैंने तो अभी पहला प्रश्न भी नहीं पूछा।

श्री सभापति: मैं प्रश्न पूछने की इजाजत दे रहा हूं लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि कोई दूसरा प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इसका जवाब तो मिल गया है।

श्री दत्ता मेघे: महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सात साल तक वे क्लेम कर सकते हैं। यह जो राशि है क्या इसे सात साल पूरे नहीं हुए हैं? अगर सात साल पूरे हो जाते हैं और यह राशि वे लोग नहीं ले जाते तो उन लोगों को ढूंढने तथा इस राशि को देने के संबंध में क्या रिज़र्व बैंक के कोई निर्देश हैं? इसके अतिरिक्त अगर कोई यह राशि लेकर नहीं जाता तो उस राशि का क्या होता है?

श्री सभापति: पार्लियामेंट में मंगवा लें।

श्री दत्ता मेघे: सर, वीमन्स है, बेरोजगारी है, उसमें दिया जाए!

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि यदि सात वर्षों तक कोई इस राशि को क्लेम नहीं करता है तो उस संबंध में क्या किया जाता है। यह प्रश्न अपने आपमें सीमित है क्योंकि यह एचडीएफसी बैंक के बारे में है जो प्राइवेट बैंक है। फिर भी अगर सात साल तक कोई उस राशि को क्लेम नहीं करता तो हमारा कम्पनी अफेयर्स विभाग का एक फंड है जिसे इनवैस्टर्स ऐजूकेशन एंड प्रोटैक्शन फंड कहते हैं। यह पैसा वहां जमा होता है और फिर उसको हम इनवैस्टर्स ऐजूकेशन एवं प्रोटैक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो राशि हमने आपको बताई कि 75 करोड़ 86 लाख की राशि क्लेम नहीं हुई थी, फिक्सड डिपॉजिट था जो क्लेम नहीं हुआ और जब उनको नोटिस गया तो नोटिस भेजने पर 75 करोड़ 86 लाख में से 51 करोड़ 9 लाख उन्होंने रिन्यू कर दिया है और क़रीब 25 करोड़ अभी अनक्लेम्ड हैं। उसके बाद समय आने पर यह पैसा कम्पनी अफेयर्स का जो फंड है, उसमें जमा हो जाएगा।

*125. [The questioner (Shri K. Kalavenkata Rao) was absent. For answer *vide* page 37—43 *infra*.]